Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2017: 5.068, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, AUG-SEPT 2018, VOL- 6/29

सामाजिक न्याय के विशेष सन्दर्भ में डॉ0 अम्बेडकर का चिंतन एवं उसकी प्रासंगिकता

अनिल कुमार

(शोध–छात्र), राजनीति विज्ञान, जे0 एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद (उ0प्र0)

Abstract

'जीवन' एक प्रसंग है; आँच, जाँच, साँच इन पर जो खरा उतरे वह सफल होता है। साधना की ऐसी तपन जो 'सामाजिक न्याय' के लिए सही गयी, वहीं न्याय की आत्मा है और भारतीय सन्दर्भ में एक न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना तथा सामाजिक संरचना; परम्परागत भारतीय समाज की विसंगतियों और नए व्यवस्थित व समानता आधारित समाज की संकल्पना जीवन संघर्ष, चिन्तन और दर्शन का सार उनकी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में समाहित है।[1] डॉ0 अम्बेडकर[2] (1979:59) के अनुसार समानता आधारित आदर्श समाज वह है जो स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित हो तथा गतिशील भी। इसीलिए आपने न्यायपूर्ण संविधान की रचना कर; एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया (सिंह, 1994, 1996)[3] जो प्रेरणा व शक्ति का सशक्त स्त्रोत है भले ही प्रतिक्रियावादी ताकतें कितनी ही रूकावटें पैदा कर लें परन्तु वे निरर्थक ही रहेंगी। भारत में परिवर्तन चक्र का पवर्तन हो चुका है। मनु के समाज को जाना है, और अम्बेडकर के परिकल्पित समाज को आना है; यह तय है; एवं भावी अपरिहार्य सत्य है, इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि आपने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक ढ़ाँचे की परिकल्पना क्रमशः सामाजिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र और राजनेतिक प्रजातंत्र के रूप में की; ताकि लोकतंत्र के सिद्धान्तों का अनुमोदन सम्भव हो, और प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकता आधारित सर्वांगीण विकास के अवसर सुलभ हो सकें; एवं समाजवाद की संकल्पना का भी निरूपण सम्भव हो सके जो कि सामाजिक प्रजातंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। डॉ0 अम्बेडकर की मान्यता थी कि हिन्दू धर्म में 'सामाजिक न्याय' का पूरे तौर पर अभाव है। अतः मैं बौद्ध धर्म जो भारतीय संस्कृति का ही अंग है; के अष्ट मार्ग का अनुसरण मेरा जीवन अब प्रज्ञा, करूणा और शील द्वारा निर्देशित होगा (कीर : 1981, 500)[4] आपका मानना था कि बौद्ध धर्म, केवल धार्मिक विधि का धर्म न होकर सामाजिक जीवन 'न्याय पूर्ण' तत्व ज्ञान है। और बौद्ध धर्म ही ''मानवता का धर्म''है।[5] साम्प्रत; उसका प्रचार करना मानवता की सच्ची सेवा करना है (अम्बेडकर, 1980, 12)[6]

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

बीसवीं सदी में पाश्चात्य देशों में 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा को लेकर विभिन्न पुस्तकें कार्वर द्वारा Essay in Social Justice (1915), मैकेन्जी द्वारा Outlines of Social Philosophy (1918), रिचर्ड ग्रान्ट द्वारा Social Justice (1928), हेनरी सिचविक द्वारा The Method of Ethics (1942), फिलिप राईट द्वारा Critical Introduction to Ethics (1947) तथा बर्ट्रेण्ड रसल द्वारा Principle of Social Reconstruction (1954) लिखी गयीं।[7] 'न्याय' (Justice) शब्द; लैटिन शब्द 'Justillia' से व्युत्पन्न है जिसके अर्थ हैं : विवेकानुसार, उचित आचार तथा विवेकपूर्ण आचरण। सुस्पष्ट है सामाजिक जीवन में विवेकपूर्ण आचरण करना, ''सामाजिक न्याय'' है।[8] लेकिन प्रो0 शर्मा[9] (2001 : 277) के अनुसार सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं में न्यायपूर्ण व्यवस्था 'सामाजिक न्याय' है जिसमें आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सम्मिलित है जिसमें नैतिक

व विधिक न्याय की पूर्ति होती है, जो मूलतः वितरणवादी (Distributive) न्याय है। रामगोपाल[10] (1999 : 18) ने लिखा है कि ''जब कोई समाज अपने वर्गों–उपवर्गों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार करता है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं।''

भारतीय समाज और डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर के 'सामाजिक न्याय' पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय अन्य देशों या समाजों की तुलना में बहुत ज्यादा था। यहाँ सामाजिक अन्याय; धर्म प्रणति या धार्मिक स्वरूप का होने के कारण गहरा, संगठित और पवित्रता का भाव लिये था। भारत में बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा और व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं थी। समाज जातीय आधार पर असमान श्रेणियों में विभक्त था और इसलिये असमानता–जन्मगत, श्रेणीबद्ध और अपरिवर्तनीय थी। धार्मिक विधानों के चलते कुछ जातियों को तो स्वतन्त्रता थी किन्तु अधिकांश जातियाँ निर्योग्यता से पीड़ित थीं। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की दशा नकारकीय थी। उन तक सामाजिक न्याय का प्रकाश पहुँचाना एक चुनौती थी। ऐसी जटिल परिस्थितियों में डॉ0 अम्बेडकर ने न केवल सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष किया बल्कि संविधान के माध्यम से उसकी सैद्धान्तिक और व्यवहारिक प्राप्ति को सम्भव बनाया।

डॉ0 अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा उनके ''स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व'' सिद्धान्त में समाहित है। वे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित किसी भी समाज को न्यायोचित नहीं मानते थे। वे कहते हैं कि ''यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श होगा स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज और क्यों न हो, क्या आपत्ति हो सकती है बन्धुत्व के लिये? मैं किसी प्रकार की कोई आपत्ति सोच भी नहीं सकता हूँ।''[11]

सामाजिक न्याय की अवधारणा के आवश्यक तत्व :

(1) स्वतन्त्रता : डॉ0 अम्बेडकर स्वतन्त्रता को अत्यधिक पवित्र मानते हैं किन्तु यह स्वतन्त्रता आन्तरिक और बाह्य, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिये। उनकी स्वतन्त्रता का विचार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सहित मानव के वैयक्तिक जीवन तक व्याप्त हैं। राजनैतिक स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में वे केवल देने के अधिकार को ही पर्याप्त नहीं मानते हैं उनके अनुसार ''समाज तथा राज्य में जितने भी नियम बनाये जातेहैं उनमें सार्वजनिक मत की प्रधानता होनी चाहिये। वे सभी राजनैतिक मूल्य, जो सब लोगों के लिये लाभकर हैं, वर्ग विशेष के हाथ में नहीं होने चाहिये। सब व्यक्तियों को अपनी सम्मति देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये।''[12] आर्थिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत वे मानते हैं कि व्यक्ति की कार्य की स्वतन्त्रता को छीनना अर्थात् पसन्द का कोई भी व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता न देना, उसको दासता के चंगल में फँसाना है। दासता का अर्थ केवल कानूनी दबाव से ही नहीं वरन इसका तात्पर्य उस सामाजिक अवस्था से भी है जिसमें मनुष्यों के व्यवहार दूसरे लोगों द्वारा

निर्धारित किये जाते हैं। दासता का स्वरूप वहाँ पर भी होता है जहाँ कुछ लोगों को निश्चित् व्यवसाय करने को बाध्य ही नहीं किया जाता वरन् उन्हें न करने पर दण्डित भी किया जाता है।[13]

(2) समानता : 'स्वतन्त्रता' सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण अंग है फिर भी अधिक निश्चित् अर्थ में सामाजिक न्याय से आशय आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समानता की स्थापना है और यदि समाज की रचना ही असमानता पर हुई हो तो समानता और भी आवश्यक है सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है दोनों एक दूसरे के कार्य– कारण हैं। इसीलिये डॉ0 अम्बेडकर ने आर्थिक समानता के लिये संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की, क्योंकि आर्थिक समानता 'सामाजिक समानता' की गारण्टी है। अर्थशास्त्रियों की आपत्ति है कि समानता व्यक्ति की सृजनशीलता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को कुण्ठित करती है। उनमें कार्य के प्रति उत्साह को कम करती है। इसलिये यह विकास के प्रतिकूल है। किन्तु असमानता दो प्रकार की होती है – (एक) प्राकृतिक या जैविक, जैसे–लिंग, आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक तीक्ष्णता आदि में असमानता और (दूसरी) सामाजिक या कृत्रिम असमानता। सामाजिक असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है और बहुत कुछ परम्परागत होती है। अतः अम्बेडकर वास्तव में दूसरे प्रकार की समानता को दूर करना चाहते थे।

(3) भ्रातृत्व : 'भ्रातृत्व' अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा का आवश्यक अंग है। क्योंकि भ्रातृत्व के अभाव में स्वतन्त्रता व समानता कृत्रिम हो जायेगी। भ्रातृत्व स्पष्ट करते हुए सिंह[14] (1992) लिखते हैं ''समाज में स्वतन्त्रता और समानता की स्थापना कानून व संविधान के द्वारा ही कहा जा सकती है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसा हुआ भी है किन्तु कानून के द्वारा लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिये समाज में जहाँ स्वतन्त्रता और समानता की प्राप्ति सरल है भ्रातृत्व का विकास कठिन है।'' अम्बेडकर के अनुसार स्वतन्त्रता और समानता भी भ्रातृत्व के लिये ही है।

स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की प्राप्ति के लिये बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवनभर संघर्ष किया। उनका स्पष्ट मत था कि अधिकार माँगने से नहीं मिलते इनके लिये संघर्ष करने का आह्वान किया। अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी मिल सके, इस हेतु ''महाड़ सत्याग्रह'' चलाया जिसमें अन्ततः उनकी जीत हुई। इसी प्रकार उन्होंने मन्दिर प्रवेश के लिये आन्दोलन किये जिनमें अमरावती में अम्बा देवी मन्दिर प्रवेश (1927), ठाकुर द्वारा मन्दिर प्रवेश, बम्बई में गणपति प्रांगण प्रवेश (1929) तथा नासिक में कालाराम मन्दिर प्रवेश (1930) मुख्य थे। दलितों को राजनैतिक न्याय के लिये उन्होंने साईमन कमीशन के सम्मुख दलितों के न्यायपूर्ण हितों की वकालात की। दलितों की राजनैतिक पहचान तथा राजनैतिक चेतना के लिये उन्होंने ''ऑल इण्डिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन'' की स्थापना कर दलितों में आत्म सम्मान और स्वाभिमान जाग्रत करने के लिये उन्होंने ''समता सैनिक दल'' (1927) की भी स्थापना की। चुनावों में भाग लेने के लिये उन्होंने 'इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' (1936) का भी गठन किया। 'सामाजिक न्याय' बगैर शिक्षा भी सम्भव नहीं। अतः अम्बेडकर ने दलितों में शिक्षा के प्रसार के

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924), डिस्प्रेस्ड क्लास एजूकेशन सोसायटी (1928) तथा पीपुल्स एजूकेशन सोसायटी (1946) की स्थापना की एवं पीपुल्स एजूकेशन सोसायटी के तत्वावधान में उन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज (1946) तथा औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज (1951) स्थापनाएं की।

ब्रिटिश वायसराय कौंसिल के लेबर मेम्बर के रूप में डॉ0 अम्बेडकर ने महिला श्रमिकों व पुरूष श्रमिकों की बेहतरी के लिये तत्कालीन श्रम सन्नियमों में संशोधन करके संघर्षों और सफलताओं के अतिरिक्त 'सामाजिक न्याय' के लिये अम्बेडकर का अप्रतिम योगदान 'भारत का संविधान' है जिसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय को एक संवैधानिक उद्देश्य बाध्यता और अनिवार्यता बनाने के साथ पवित्रता भी प्रदान की। सामाजिक न्याय को डॉ0 अम्बेडकर ने कितना महत्व दिया है, इसका अनुमान इसी से होता है कि उन्होंने संविधान का पहला भाग 'संघ' और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में नागरिकता के अति महत्वपूर्ण विषय के बाद तीसरे भाग में ''मूल अधिकारों'' की विवेचना की, जिसमें उन्होंने समता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, धर्म की धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तथा संविधानिक उपचारों के अधिकार दिये। इसी के अन्तर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष 'समानता के अधिकार' का प्रतिपादन करते हुए कहा कि – ''राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।''[15] अनुच्छेद 15 में कहा कि ''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा तथा कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी नियोग्यता–दायित्व, शर्त के अधीन नहीं होगा।'' (भारत का संविधान, पृष्ठ 12)[16] वहीं अनुच्छेद 16 में राज्याधोन नौकरियों में धर्म, वंश, जाति, उत्पत्ति, जन्मस्थान, निवास आदि किसी प्रकार के भेद के बिना सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण में बाधा न आये इस हेतु उपबन्ध किया कि राज्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। सामाजिक न्याय की दिशा में अनुच्छेद 17 अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें डॉ0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यता का अन्त किया। वे लिखते हैं ''अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।'' अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना दण्डनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 19 में उन्होंने भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जान तथा कोई वृत्ति या आजीविका कमाने व व्यापार का कारोबार करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 21 में प्राण और दहिक

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्वतन्त्रता का संरक्षण किया। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 में उन्होंने मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिशोध किया तथा स्पष्ट किया कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद 24 में बालश्रम का प्रतिरोध किया एवं अनुच्छेद 39 में 'समान कार्य के लिये समान वेतन' का प्रावधान किया। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का पवित्र दस्तावेज बना दिया। इतना ही नहीं जैसा कि अरस्तु ने कहा कि ''न्याय का अर्थ समानता है किन्तु इसका वितरण सदैव असमान होता है।'' डॉ0 अम्बेडकर ने समानता के लिये अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये अनुच्छेद 330 के माध्यम से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिये 79 तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 40 सीट आरक्षित करने की व्यवस्था की। अनुच्छेद 32 के माध्यम से विधान सभाओं के कुल 3,997 स्थानों में से अनुसूचित जातियों के लिये 557 तथा जनजातियों के लिये 315 स्थान आरक्षित किये गये। निश्चित रूप से भारत में 'सामाजिक न्याय' वह जितना भी है उसका श्रेय डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है।[17]

वैसे तो 'परिवर्तन' प्रकृति का नियम है। प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु पविर्तनशील है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है। अतः कोई चाहे या न चाहे परिवतन तो अवश्यभावी है। अतः परिवर्तन नहीं बल्कि परिवर्तन की दिशा क्या हो (?) यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। किसी निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन ही 'प्रगति' है। यहाँ सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक प्रगति है। अतः सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक प्रगति है। सामान्यतः परिवर्तन उस प्रगति को कहा जा सकता है जिससे किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के जीवन में सहायता मिले, क्योंकि जीवित रहना सर्वोच्च नहीं परन्तु सर्वप्रथम और अनिवार्य मूल्य है। इस प्रकार प्रगति या वांछित परिवर्तन वह है जो मानव सुख में वृद्धि करता हो। 'वृद्धि' सामाजिक परिवर्तन या प्रगति की पहचान है यदि समाज के लोग अधिक सुखी हैं तो स्पष्ट है कि 'समाज' प्रगति की ओर अग्रसर है और यदि समाज के लोग दुःखी हैं तो सामाजिक प्रगति नहीं मानी जा सकती। सामाजिक प्रगति के सन्दर्भ में पार्क और बर्गेस का कथन है कि ''किसी उपस्थिति पर्यावरण के प्रति अनुकूलन के लिये कोई भी परिवर्तन जो कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा जीवन के अन्य संगठित रूप के लिये जीवन आसान बना देता है; प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा जा सकता है।''[18] किन्तु मनुष्य का लक्ष्य केवल जीन के लिये पर्यावरण या परिस्थितियों से अनुकूलन मात्र नहीं है अपितु मनुष्य का लक्ष्य कीड़े–मकोड़ा की तरह न जीकर 'मानव' की तरह जीना है। अतः सामाजिक परिवर्तन के लिये भौतिक प्रगति ही नहों बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक मूल्यों का भी महत्व है। उन्होंने औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और लोकतंत्र की बात ही नहीं की वरन् दलितों को बुद्ध का सन्देश भी दिया। साथ ही संविधान में भी 'धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार' दिया।

डॉ0 अम्बेडकर के दर्शन के अनुरूप भारत में सार्थक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति ही नहीं हुई हैं बल्कि निश्चित तौर पर शैक्षणिक और आध्यात्मिक प्रगति भी हुई है। आज अनुसूचित जाति–जनजाति समाज हर दिशा में आगे बढ़ा है। ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परिणामों से देश भी मजबूत हुआ है। देश की मजबूती और उन्नति के लिये भी समानता की दिशा में सामाजिक परिवर्तन अवश्य है, शोधार्थी का मानना है कि ''एकता की भावना समानता से विकसित होती है। शिक्षा, आय, राजनैतिक शक्ति और सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित भेद जब समाज में बढ़ जाते हैं तो इससे न केवल सामाजिक संगठन अपितु राष्ट्रीय एकता को भी खतरा पैदा हो जाता है।'' यह निर्विवाद सत्य है कि डॉ0 अम्बेडकर ने देश को सामाजिक न्याय की कल्पना दी, उसे व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिये कानून भी दिये और सामाजिक परिवर्तन को सम्भव बनाया। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिये दलित वर्ग ही नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र भी आज उनका ऋणी है और रहेगा।

सन्दर्भ सूची (References) :

दाभाड़े चन्द्रशेखर ; अम्बेडकर विमर्श और सामाजिक परिवर्तन, अम्बेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0), 4–5 फरवरी, 2003, पृष्ठ 15

अम्बेडकर बी0आर0; कास्ट्स इन इण्डिया, भीम पत्रिका प्रकाशन, जालन्धर (पंजाब), 1979, पृष्ठ 59

सिंह0 आर0जी0 ; सामाजिक न्याय और दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृष्ठ 199

कीर, धनंजय;डॉ0 अम्बेडकर:लाइफ एण्ड मिशन, पॉपूलर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1981, पृष्ठ 500

मून, बसन्त ; डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर (अनुदित ग्रन्थ), नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 187

अम्बेडकर बी0आर0;बुद्धा एण्ड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, भीम पत्रिका प्रकाशन, जालंधर, 1980, पृष्ठ 12

मालवीय चिन्तामणि ; सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन : डॉ0 अम्बेडकर के विशेष सन्दर्भ में, प्रकाशित शोध–पत्र, 'अम्बेडकर पीठ पत्रिका', उज्जैन (म0प्र0), 2003, पृष्ठ 92

द कन्साइज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976, पृष्ठ 587

शर्मा आर0एन0; समाज दर्शन, केदारनाथ रामनाथ प्रकाशन, मेरठ (उ0प्र0), 1976, पृष्ठ 277

सिंह0 आर0जी0;सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और जाति व्यवस्था, रावत प्रकाशन (राजस्थान) जयपुर, 1999, पृष्ठ 18

अम्बेडकर बी0आर0 ; एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थेकर एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 1937

जाटव डी0आर0 ; डॉ0 अम्बेडकर का समाज दर्शन, समता साहित्य सदन प्रकाशन, जयपुर (राजस्थान), 1992, पृष्ठ 185

डॉ0 अम्बेडकर बी0आर0 ; एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थेकर एण्ड कम्पनी, 1937, पृष्ठ 39

डॉ0 अम्बेडकर बी0आर0 ; एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पूर्वोक्त, पृष्ठ 50

सिंह आर0जी0 ; डॉ0 भीमराव अम्बेडकर : समाज वैज्ञानिक, म0प्र0, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1992, पृष्ठ 28

भारत का संविधान ; आलिया लॉ हाउस, इलाहाबाद, 1990, पृष्ठ 12

मालवीय सी0एम0 ; सामाजिक न्याय और परिवर्तन : डॉ0 अम्बेडकर के विशेष सन्दर्भ में, पूर्वोक्त, अम्बेडकर विमर्श, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 2003, पृष्ठ 97

पार्क ए0पी0 एण्ड बर्गेस सी ; ऐन इन्ट्रेडक्शन टू साइन्स एण्ड सोशियोलॉजी ; लॉगमेन्स एण्ड ग्रीन पब्लिशर्स हॉल्ट (न्यूयार्क), 2007, पृष्ठ 382

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies